

[2023] 5 एस. सी. आर 447

भारतीय तेल निगम और अन्य

बनाम

अजीत कुमार सिंह और एक अन्य

(2023 की दीवानी अपील संख्या 3663)

17 मई, 2023

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, न्यायाधीशगण]

सेवा कानून: अनुशासनात्मक कार्यवाही-न्यायिक समीक्षा का दायरा-बोली (निविदा) में छेड़छाड़ का मामला, जिसमें दो कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई-प्रतिवादी संख्या- 1 के खिलाफ पांच वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के लिए बड़े जुर्माने के अधिरोपण का आदेश और दूसरे कर्मचारी के खिलाफ निचली श्रेणी में पदावनति की सजा-प्रतिवादी संख्या-1 के खिलाफ सजा का आदेश अपीलीय प्राधिकारी और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा भी बरकरार रखा गया-हालाँकि, अपील खंडपीठ द्वारा दी गई सजा को अपरस्त कर दिया गया, अभिनिर्धारित की गई: जाँच के दौरान, प्रतिवादी संख्या-1 को सुनवाई का उचित अवसर प्रत्येक स्तर पर दिया गया यह एकल न्यायाधीश द्वारा भी पाया गया था-हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसका निपटारा इस तरह से किया जैसे कि यह मामले का पहला चरण था, अर्थात्, जांच की जा रही थी और जांच प्रतिवेदन तैयार की न्यायिक समीक्षा में इसकी गुंजाइश नहीं है-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पूरे साक्ष्य की पुनः विवेचना शुरू की। जब निवेदित दर के बदले हुए स्वरूप पर प्रतिवादी संख्या-1 का हस्ताक्षर था, इसने स्पष्ट रूप से दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ में उनकी संलिप्तता को स्थापित किया-उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस पर ध्यान देने में विफल रही, इस प्रकार, खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया और एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया गया-न्यायिक समीक्षा।

उप महाप्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव
(2021) 2 एस. सी. सी. 612; भूतपूर्व सिपाही/चालक मुकेश कुमार
रायगर बनाम भारत संघ और अन्य (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन
एस. सी. 27-संदर्भित।

वाद विधि संदर्भ

(2021) 2 एससीसी 612

संदर्भित

पारा 6

दीवानी अपीलीय न्यायाधिका: दीवानी अपील संख्या- 3663/2023

2004 के सी. डब्ल्यू. जे. सं. 2176 में 2015 के एल. पी. ए. सं. 1593 में पटना
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के निर्णय और आदेश दिनांक 28.02.2019 से

मेसर्स वी. एन. कौरा, श्रीमती परमजीत बेनीपाल, सिरीश कुमार, अवनीश अर्पुथम,
सुश्री अनुराधा अर्पुथम, मेसर्स अर्पुथम अरुणा और कंपनी, अपीलार्थियों के लिए
अधिवक्तागण

नवनीति प्रसाद. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, वैभव नीति, सुश्री सायरी बसु मलिक, एमडी.
माधवी अग्रवाल, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल द्वारा दिया/सुनाया गया ।

राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति

1. 2015 का लेटर्स पेटेंट अपील सं 1593 दिनांक 28.02.2019 में उच्च
न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश से व्यक्ति होकर वर्तमान अपील दायर की गई है ।
उपरोक्त आदेश के तहत, 2004 का सी.डब्ल्यू.जे.सी सं 2176 में उच्च न्यायालय के
विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 25.06.2015 के फैसले और आदेश को उलट दिया
गया था।

2. अभिलेख पर उपलब्ध संक्षिप्त तथ्य यह है कि 30.6.2001 को अपीलकर्ता
निगम द्वारा 'रिफाइनरी के अंदर सतह जल निकासी और टैंक पैड और टैंक संख्या

235,236 और 237 की मरम्मत' (बरौनी रिफाइनरी) के काम के लिए निविदा सूचना जारी की गई थी, जिसमें तीन बोलीदाताओं ने भाग लिया था। तकनीकी बोलियां 24.8.2001 पर खोली गईं। हालाँकि, उस दिन मूल्य बोलियाँ नहीं खोली गईं और के. सी. पटेल के टेबल दराज में 'आज नहीं खोली गई' टिप्पणी के साथ बंद रखी गईं। उसकी चाबियाँ उसके पास थीं और प्रतिवादी संख्या 11, अजीत कुमार सिंह के पास उपलब्ध थी। मूल्य बोलियाँ 1.10.2001 को खोली गई थीं। प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उद्धरण प्रपत्र पर के. सी. पटेल और जी. एस. महतो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की गई थीं। 3.10.2001 के. सी. पर तुलनात्मक तालिका तैयार करते समय के सी पटेल ने उद्धरण के रूप में उद्धृत मूल्य की तुलना में मेसर्स बी. एस. झा की मूल्य बोली में परिवर्तन देखा, जो 1.10.2001 पर दर्ज किया गया था। मेसर्स बी. एस. झा की मूल्य बोली के उद्धरण के बदले हुए रूप में के. सी. पटेल के हस्ताक्षर गायब थे। उद्धृत प्रतिशत में अति-लेखन था जिसमें '9.6' के अंक में '9' को '5' के रूप में अति-लिखित किया गया था। मेसर्स बी. एस. झा, जो दूसरे सबसे कम बोली लगाने वाले (एल-2) थे, जब मूल्य बोलियां 1.10.2001 पर खोली गईं, उन्हें सबसे कम बोली लगाने वाला (एल-1) पाया गया। इस मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई। उद्धरण के मूल रूप का पता लगाने के प्रयास किए गए। जब यह नहीं मिला तो मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। भारतीय तेल निगम और अन्य बनाम अजीत कुमार सिंह और एक अन्य [राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति]

3. जी. एस. महतो ने स्वीकार किया कि बी. के. मिश्रा के साथ मेसर्स बी. एस. झा के कहने पर, उन्होंने उद्धरण/मूल्य बोली के रूप को बदल दिया और उसके मूल को नष्ट कर दिया ताकि फर्म एल-1 पर आए। उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। मेसर्स लक्ष्मी सिंह की मूल्य बोली वाला लिफाफा को केंद्रीय फॉरेंसिक संस्थान, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, कोलकाता भी दिनांक 08.04.2002 के द्वारा पत्र भेजा गया था। रिपोर्ट ने स्थापित किया कि उक्त लिफाफे को खोलकर और फिर पुनः सील करके छेड़छाड़ की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बोली वाले लिफाफों को एक दराज में रखा गया था, जिसकी एक डुप्लिकेट कुंजी/चाभी प्रतिवादी संख्या के साथ उपलब्ध थी। उन्हें यह समझाने के लिए आरोप पत्र जारी किया गया था कि मेसर्स लक्ष्मी सिंह की बोली

के रूप को बदलने के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए ताकि वे निविदा प्रक्रिया में एल-1 बन सकें। इसके साथ ही, मेसर्स लक्ष्मी सिंह की मूल्य बोली के उद्धरण के साथ छेड़छाड़ करने के लिए के. सी. पटेल को भी आरोप पत्र जारी किया गया था। चूंकि कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब असंतोषजनक पाया गया था, इसलिए प्रतिवादी नं.1 और के. सी. पटेल। जाँच रिपोर्ट में जाँच अधिकारी ने राय दी कि बोलियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह पाया गया कि बोलीदाता मेसर्स लक्ष्मी सिंह और मेसर्स बी. एस. झा की निविदा के मामले में छेड़छाड़ की गई थी। मेसर्स लक्ष्मी सिंह के उद्धरण के बदले हुए रूप में प्रतिवादी सं.1. आरोप साबित हो गए। रिपोर्ट को अनुशासन प्राधिकरण को भेज दिया गया था। प्रतिलिपि प्रतिवादी सं.1 को भेजी गई थी। ताकि वह प्रतिनिधित्व कर सके। प्रत्यर्थी सं.1 ने जाँच रिपोर्ट के खिलाफ अभ्यावेदन दायर किया। उसी पर विचार करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने दिनांक 7.8.2003 के आदेश के माध्यम से संचयी प्रभाव के साथ पांच वार्षिक वृद्धि को रोकने का बड़ा जुर्माना लगाया, जो 1.1.2004 से प्रभावी था। रिकॉर्ड/अभिलेख को सीधा रखने के लिए, यह जोड़ा जाता है कि के. सी. पटेल को निचली श्रेणी में कटौती की सजा दी गई थी। प्रत्यर्थी संख्या द्वारा दायर अपील सजा के आदेश के खिलाफ 1 को 18.11.2003 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 11 ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। हालाँकि, पुनर्विचार में, एकल न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया गया और प्रतिवादी सं.1 लगाया गया दंड/सजा को दरकिनार कर दिया गया। यह उपरोक्त आदेश है जो वर्तमान अपील में आक्षेपित है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि न्यायिक समीक्षा के मामले में केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश यह देखना है कि क्या पूछताछ के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन किया गया और संबंधित कर्मचारी को उचित अवसर दिया गया। व्यापक साक्ष्य की जांच नहीं की जा सकी, वह भी एक पुनर्विचार में, जब सजा के आदेश और अपीलीय आदेश को पहले ही उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें केंद्रीय फॉरेंसिक संस्थान, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, कोलकाता की रिपोर्ट से मूल्य

बोली में छेड़छाड़ पूरी तरह से स्थापित पाई गई थी। इस अवधि के दौरान छेड़छाड़ की गई थी, बोली दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 11 और के. सी. पटेल के संयुक्त अभिरक्षा में थी। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि मैसर्स लक्ष्मी सिंह के उद्धार के बदले हुए रूप पर, प्रतिवादी संख्या 1 पाया गया। यह तब तक संभव नहीं था जब तक कि वह शामिल न हो। खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाना था।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या के लिए विद्वान वकील/अधिवक्ता 1 ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ किया गया अन्याय को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा सही किया गया था। अपीलार्थी को इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। केवल इसलिए कि दराज की डुप्लिकेट कुंजी जिसमें बोली दस्तावेज रखे गए थे, प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ थी। उसे बोलियों के किसी भी छेड़छाड़ या प्रतिस्थापन के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। वास्तव में, उसे अन्य कर्मचारियों द्वारा बलि का बकरा बनाया गया है। प्रत्यर्थी सं. 11 पहले से ही पिछले दो दशकों से अधिक समय से इस प्रक्रिया से पीड़ित है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटियां नहीं हैं। अपील खारिज की जा सकती है।

6. आरोप पत्र जारी करने, विभागीय जांच शुरू करने, जांच अधिकारी की रिपोर्ट/प्रतिवेदन और प्रतिवादी सं. 1 का वर्णन पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में पहले ही किया जा चुका है। यह विवाद में नहीं है कि जांच के दौरान, प्रतिवादी संख्या 1 को प्रत्येक चरण में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था। प्रत्येक चरण में यह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उस पर लगाए गए दंड को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज करते हुए भी पाया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय से पता चलता है कि मामले को इस तरह से निपटाया गया था जैसे कि यह मामले का पहला चरण था, अर्थात्, जांच की जा रही थी और जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, जो न्यायिक समीक्षा में गुंजाइश नहीं है। डिप्टी जनरल/महा में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार प्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार नीचे निकाला गया है:

"24. इस प्रकार यह तय किया जाता है कि संवैधानिक न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है न कि

निर्णय के गुण-दोष। यह व्यवहार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है न कि निष्कर्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय/न्यायाधिकरण अपराधी के खिलाफ आयोजित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है यदि यह किसी भी तरह से प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत है या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन है या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष या परिणाम बिना किसी सबूत के आधारित है। यदि निष्कर्ष या निष्कर्ष ऐसा होता कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी नहीं पहुंचता या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त साक्ष्य पर विचार करने पर निष्कर्ष विकृत होते हैं या रिकॉर्ड/अभिलेख के सामने या किसी भी सबूत के आधार पर पेटेंट त्रुटियां से पीड़ित होते हैं, तो प्रमाण पत्र का एक रिट जारी किया जा सकता है। संक्षेप में, न्यायिक समीक्षा का दायरा तथ्य के रूप में प्राधिकरण के निर्णय की शुद्धता या तर्कसंगतता की जांच तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

25-27 XX XX XX

28. संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136 के तहत न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संवैधानिक न्यायालय विभागीय जांच कार्यवाही में आए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय दुर्भावना या विकृति के मामले के, यानी जहां किसी निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या जहां कोई निष्कर्ष ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति उचित रूप से और निष्पक्षता के साथ उन निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकता है और जब तक विभागीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत हैं, तब तक इसे बनाए रखना होगा।”

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय के बाद के फैसले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था। भूतपूर्व सिपाही/चालक मुकेश कुमार रायगर बनाम भारत संघ और अन्य में

7. यदि न्यायिक समीक्षा के दायरे में कानून के तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की। मानो किसी आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि की अगली उच्च अदालत द्वारा फिर से जांच की जा रही हो। प्रत्यर्थी संख्या द्वारा लिया गया रुख यह था कि वह छुट्टी पर थे और किसी भी दस्तावेज के साथ उनके छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं था। उनका तर्क था कि केवल इसलिए कि उनके पास दराज की डुप्लिकेट चाबी थी जहां दस्तावेज रखे गए थे, उन्हें किसी भी छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, जाँच अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट/प्रतिवेदन में दर्ज किए गए निष्कर्ष का कोई जवाब नहीं था, अर्थात्, मैसर्स लक्ष्मी सिंह के उद्धरण के बदले हुए रूप में प्रतिवादी संख्या 1 यह तथ्य कि "उद्धरण का रूप" बदल दिया गया था, विवाद में नहीं है। जब उद्धरण के बदले हुए रूप में भी प्रतिवादी सं 1, इसने स्पष्ट रूप से दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ में उनकी संलिप्तता को स्थापित किया। इस तथ्य पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी ध्यान नहीं दिया है।

8. ऊपर बताए गए कारणों से, अपील की अनुमति है। 2015 लेटर पेटेंट अपील संख्या 1593 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 28.2.2019 के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और 2004 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 2176 में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 25.6.2015 के आदेश को बहाल कर दिया गया है।

निधि जैन

(राखी, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त) अपील की अनुमति प्रदान की गई